मैनुअल – 7

किसी ऐसी व्यवस्था का विवरण जो इसकी नीतियों के कार्यान्वयन के निर्माण के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए विद्यमान हो ।

नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित पब्लिक लिमिटेड कंपनी है । इसकी नीतियों की रूपरेखा और कार्यान्वयन कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है ।

निदेशक मंडल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसमें गैर–सरकारी निदेशकों के रूप में उत्कृष्ट जन–प्रतिनिधि होते हैं । केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में इसकी नीतियों तथा गतिविधियों का प्रैस, जनता और संसद द्वारा निरंतर एवं अत्यंत सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है । जनता के प्रतिनिधियों के रूप में संसद सदस्य संसदीय प्रश्नों, विशेष उल्लेखों/सामान्य चर्चाओं/वार्ताओं के माध्यम से संसद के दोनों सदनों में उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करते हैं । इसके अतिरिक्त, संसदीय समितियां भी होती हैं जिसमें संसद सदस्य सम्मिलित होते हैं । यह कंपनी का परीक्षण करते हैं और नैसिल के कार्यों के संबंध में सुझाव और सिफारिशें देने के अतिरिक्त समय–समय पर इसके कार्यों और निष्पादन पर चर्चा करते हैं ।

अतः उपर्युक्त प्रक्रिया के माध्यम से नैसिल की नीतियां और कार्य जनता की निरंतर निगरानी में रहते हैं ।